राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

NHB(ND)/DRS/Pol. Circular No. 62/2014

May 27, 2014

All Registered Housing Finance Companies

Dear Sir/Madam

Creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve maintained by Housing Finance Companies under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961

As per the provisions under Section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961, the specified entity like housing finance company (HFC) is allowed the deduction in respect of any special reserve created and maintained by it, i.e. an amount not exceeding twenty per cent of the profits derived from eligible business computed under the head "Profits and gains of business or profession" (before making any deduction under this clause). This would be applicable till the aggregate of the amounts carried to such reserve account from time to time exceeds twice the amount of the paid-up share capital (excluding the amounts capitalized from reserves) of the entity. Further, in terms of the Section 41(4A), where a deduction has been allowed in respect of any special reserve created and maintained under Section 36(1)(viii), any amount subsequently withdrawn from such special reserve shall be deemed to be the profits and gains of business or profession and accordingly be chargeable to income-tax as the income of the previous year in which such amount is withdrawn.

2. The Accounting Standard 22: 'Accounting for taxes on Income' (AS 22) requires recognition of deferred tax for all the timing differences i.e. the differences between taxable income and accounting income for a period that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. This is based on the principle that the financial statements for a period should recognize the tax effect, whether current or deferred.

3. In this context, specified entity like HFC is required to create Deferred Tax Liability (DTL) on the Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. However, it is observed that some HFCs are not creating DTL on Special Reserve, as required by the AS-22, on the grounds that they do not intend to withdraw from such reserve in the future. It is also observed that many HFCs have also formalized the intent through resolution passed by the Board.

4. The matter regarding creation of DTL on Special Reserve has been examined and HFCs are advised that, as a matter of prudence, DTL should be created on

Special Reserve created and maintained by them, under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. For this purpose, HFCs may take the following course of action:

a) If the expenditure due to the creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2014 has not been fully charged to the Statement of Profit and Loss, HFCs may adjust the same directly from Reserves. The amount so adjusted may be appropriately disclosed in the Notes to Accounts of the financial statements for the Financial Year 2014-15.

b) DTL for amounts transferred to Special Reserve from the year ending March 31, 2015 onwards should be charged to the Statement of Profit and Loss of that year.

5. In view of the requirement to create DTL on special Reserve, HFCs may reckon the entire Special Reserve for the purpose of computing Tier-I Capital.

Yours faithfully

(R. S. Garg)
Executive Director

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति परिपत्र सं. 62/2014
27 मई, 2014

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदय/ महोदया,

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत आवास वित्त कंपनियों द्वारा बनाई विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता का निर्माण

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत प्रावधानों के अनुसार, आवास वित्त कंपनी (आ.वि.कंपनी) की तरह निर्दिष्ट इकाई को इसके द्वारा निर्मित और बनाये रखी गई किसी विशेष आरक्षित निधि, अर्थात् "कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति" शीर्ष (इस धारा के तहत कोई कटौती करने से पूर्व) के तहत अभिकलित पात्र कारोबार से उत्पन्न लाभों की अधिकतम बीस प्रतिशत राशि, के संबंध में कटौती की अनुमति है। यह कुल राशि तक लागू रहेगा जब तक कि ऐसे आरक्षित खाते में समय समय पर इकाई की चुकता शेयर पूंजी (आरक्षित निधि से पूंजीकृत राशि के अतिरिक्त) की राशि दोगुनी से अधिक नहीं हो जाती है। इसके अतिरिक्त, धारा 41(4ए) के अनुसार, धारा 36(1)(viii) के तहत निर्मित और बनाये रखी गई किसी विशेष आरक्षित निधि के संबंध में जहां कटौती की अनुमति है, ऐसी विशेष आरक्षित निधि से तत्पश्चात् आहरित कोई राशि कारोबार अथवा व्यवसाय का लाभ और प्राप्ति मानी जाएगी और तदनुसार उस पर पिछले वर्ष, जिसमें ऐसी राशि आहरित की गई है; की आय के तौर पर आय कर प्रभार्य होगा।

2. लेखांकन मानक 22: 'आय पर कर हेतु लेखांकन' (एएस 22) में सभी समय संबंधी अंतरों अर्थात् किसी अवधि हेतु कर योग्य आय और लेखांकन आय के मध्य अंतर जो किसी अवधि में उत्पन्न हुए और एक अथवा अधिक बाद की अवधियों में परिवर्तन हेतु सक्षम हैं; हेतु आस्थगित कर की पहचान अपेक्षित है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों में कर प्रभाव, चाहे वर्तमान अथवा आस्थगित हो; की पहचान करेगा।

3. इस संदर्भ में, आ.वि.कंपनी की तरह निर्दिष्ट इकाई हेतु आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत निर्मित और बनाये रखी गई किसी विशेष आरक्षित निधि (डीटीएल) पर आस्थगित कर देयता निर्मित करना अपेक्षित है। हालांकि, यह देखा गया है कि कुछ आ.वि. कंपनियां, एएस-22 द्वारा यथा अपेक्षित, विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल का निर्माण इस आधार पर नहीं कर रही हैं कि उनका भविष्य में ऐसी आरक्षित निधि से आहरण की इरादा नहीं है। यह भी देखा गया है कि कई आ.वि. कंपनियों ने बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से इस आशय को औपचारिक रूप दिया है।

4. विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल के निर्माण के संबंध में मामले की जांच की गई थी एवं मामले सतर्कता के तौर पर आ.वि. कंपंनियों को सूचित किया गया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत उनके द्वारा निर्मित एवं बनाऐ गये विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आ.वि. कंपनियां निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है।

(क) यथा 31 मार्च, 2014 को विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल के निर्माण के कारण यदि व्यय को लाभ-हानि की विवरणी से पूर्णतः प्रभारित नहीं किया जाता है तो आ.वि. कंपनियां उक्त को सीधे आरक्षित निधियों से समायोजित कर सकती है। समायोजित राशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु वित्तीय विवरणी के खातों के नोट में उचित रूप से प्रकट किया जा सकता है।

(ख) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के बाद से विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि हेतु डीटीएल को उस वर्ष के लाभ – हानि विवरणी से प्रभारित किया जाना चाहिए।

5. विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल निर्मित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, आ.वि.कंपनियां टीयर-I पूंजी की गणना के उद्देश्य हेतु समस्त विशेष आरक्षित निधि की गणना कर सकती हैं।

भवदीय,

राधे श्याम

(आर.एस.गर्ग)
कार्यपालक निदेशक